निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1941 (श0)
(सं0 पटना 759) पटना, मंगलवार, 2 जुलाई 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
2 जुलाई 2019

सं० 3/एम0–102/2007–8760—भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल "बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार।–**

(i) यह नियमावली **"बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2019"** कही जायेगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा यह सचिवालय के विभागों एवं मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **"बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010" के नियम–1(1) में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–1(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"यह नियमावली **बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010** कही जा सकेगी।"

3. **"बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित)" में प्रयुक्त समूह 'घ'/अनुसेवक/आदेशपाल/चपरासी शब्द का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली में जहाँ कहीं भी समूह 'घ'/अनुसेवक/आदेशपाल/चपरासी शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द **कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)** द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप–सचिव।

2 जुलाई 2019

सं० 3/एम0–102/2007–8761/ अधिसूचना सं0 8760 दिनांक 2 जुलाई 2019 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप–सचिव।

The 2nd July 2019

No.3/M-102/2007-GAD-8760—In exercise of Powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules to amend the Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) Rules, 2010 (as amended time to time):-

1. **Short title, extent and commencement.—**

(i) These Rules may be called The Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) (amendment) Rules, 2019.

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar and shall be equally applicable on the Secretariat departments and Muffasil offices.

(iii) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Amendment in Rule 1(1) of Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) Rules, 2010.**-The Rule 1(1) of the said rules shall be substituted as below-

" These Rules may be called the **Bihar Office Attendent/Attendent (Specific) (recruitment & service condition) Rules, 2010**"

3. **Substitution of the words Group 'D'/Peon/Orderly Peon/Chaprasi in Bihar Group 'D' (recruitment & service condition) Rules, 2010.**-The words **Group 'D'/Peon/Orderly Peon/Chaprasi** wherever used in the said rules shall be substituted by the words **Office Attendent/Attendent (Specific).**

By the order of the Governor of Bihar,
GUFRAN AHMAD,
Deputy Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 759-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in